न्यायालय अवर न्यायाधीश, द्वितीय
सोनपुर सारण।

बँटवारा वाद सं0–19 सन् 2017

सुरेन्द्र राय वगैरह..वादी

ब ना म

धर्मा देवी वगैरह..प्रतिवादी।

दिनांक–11.07.2025

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0–17 नन्दु राय वो प्रतिवादी सं0–18 राम प्रकाश राय की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक– 19.12. 2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी सं0 17 एवं 18 कि ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में एक मुल बैनामा दस्तावेज दिनांक–19.05.1990 नविस्ते विजय सिंह वो श्रीमती धर्मा देवी बनाम रामानन्द राय वो नन्दु राय पूर्व से अभिलेख मं दाखिल है, जो 30 वर्ष से ज्यादा पुराना है। भूलवश प्रतिवादी साक्षी सं0–01 नन्दु राय द्वारा अभिरक्षा के बिन्दु पर परीक्षण करना छुट गया है। न्यायहित में प्रतिवादी साक्षी संख्या–01 नन्दु राय को रिकॉल कर पुनः परीक्षण सिर्फ अभिरक्षा के बिन्दु पर करना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी साक्षी सं0–01 को रिकॉल कर सिर्फ अभिरक्षा के बिन्दु पर परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की जाय।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 03.05.2025 को दाखिल कर विरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख के अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी 17 वो 18 की ओर से आवेदन दाखिल कर कथन है कि एक मुल बैनामा दस्तावेज दिनांक–19.05. 1990 नविस्ते विजय सिंह वो श्रीमती धर्मा देवी बनाम रामानन्द राय वो नन्दु राय पूर्व से अभिलेख मं दाखिल है, जो 30 वर्ष से ज्यादा पुराना है। भूलवश प्रतिवादी साक्षी सं0–01 नन्दु राय द्वारा अभिरक्षा के बिन्दु पर परीक्षण करना छुट गया है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन हेतु प्रतिवादी साक्षी सं0 01 को रिकॉल करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन को 500/–रूपये खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी खर्च की राशि वादी को प्रदान करें। वाद दिनांकक्......................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज, द्वितीय
सोनपुर, सारण।